5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

47

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

निग० 3004-II/15

निगरानी प्र०क्र० /2015

श्री [illegible] द्वारा आज दि. [illegible] को प्रस्तुत 4-9-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रमलू तनय गोले यादव आयु 50 साल निवासी ग्राम व तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म०प्र० --------निगराकार

बनाम

1- दयाराम तनय गोलेयादव आयु 60 वर्ष
2- मुन्ना तनय गोले यादव आयु वर्ष
दोनों नि० ग्राम व तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म०प्र०
3-शासन म०प्र० द्वारा कलैक्टर टीकमगढ़ म०प्र०
------प्रतिनिगराकार गण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50(1) म०प्र०भू राजस्व संहिता 1959 संशोधन आदेश 2011

महोदयजी,

निगरानी का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है :-

यह कि भूमि खसरा क्रमांक 1937, 1940, 1943, 1944, 1945, 1947 कुल रकबा 1.286 है० स्थित ग्राम मोजा तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म०प्र० में स्थित है । जो निगराकार व प्रतिनिगराकार की माता जी स्व० सुमित्रा यादव के नाम से थी बाद में हिन्दू प्रथा के अनुसार निगराकार के बड़े भाई प्रति निगराकार क्र० 1 ने अपने छोटे भाई रमलू, मुन्ना के नाम से नायब तहसीलदार महोदय जी खरगापुर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 17/अ-6अ/2004-05 के द्वारा अपने मौखी से सत्यापित शपथ पत्र व अधीनस्थ न्यायालय में कथन देकर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3004/II/15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-9-15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री एस० के० श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभि० को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि विवादित भूमि क्र० 1937, 1940, 1943, 1944, 1945, 1947 कुल रकबा 1.286 हे० जो आवेदक एवं अनावेदकगण की माता श्रीमती सुमित्रा पाठक के नाम से थी। इस भूमि को तह० न्याया० के प्रकरण क्रमांक-17/अ-6-अ/2004-05 दि० 9-6-05 में दयाराम द्वारा अपना शपथ पत्र देकर तथा कथन देकर भूमि के समान भाग पर स्वेच्छा से राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराये गये। तब से आवेदक अपने हिस्से की भूमि पर काबिज था। इसी बीच अनावेदक क्र. 2 दयाराम ने अनावेदक-2 के दिनांक 1.10.2012 को अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में 7 वर्ष बाद प्रस्तुत कर दी जिसमें धारा 5 के आवेदन में लिखा कि नामांतरण की जानकारी दिनांक 18-9-12 को होना बताया गया जो असत्य था। जबकि प्रतिनिगरानीकर्ता क्र० 1 एवं 2 को पूरी जानकारी थी क्योंकि उनके द्वारा स्वेच्छा से तह० न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर शपथपत्र एवं कथन अंकित कराये थे ऐसी स्थिति में यह कहना कि जानकारी नहीं थी पूर्णतः बनावटी एवं गलत है इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया जानकारी होने के दिनांक से अपील प्रस्तुत करने तथा तह० के आदेश दिनांक 9-6-2005 से अपील प्रस्तुत करने के दिनांक तक का प्रत्येक दिवस का हिसाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। धारा 5 का आवेदन विधि विरुद्ध स्वीकार किया गया है निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया है। मेरे द्वारा आवेदक अभि० के तर्कों	

दयाराम

[कृ. प. उ.

R-3004/11/15 ठेकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 6.8.15 का अवलोकन किया गया। जिसके अंतिम पैरा में यह अंकित था कि (अधी० न्यायालय में अपीलार्थी) के अपील मेमो में उल्लेखित तर्क कि के०सी०सी० के बहाने बल्देवा० से जोत अंगूठा लगवाने एवं अशिक्षित होने के कारण एवं धारा 5 म्याद अधिनियम के साथ प्रस्तुत शपथपत्र को दृष्टिगत रखते हुए न्याय की दृष्टि से धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किये जाने का आदेश दिया गया है।	
	अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश दिनांक 6.8.15 अंतरिम आदेश है जिससे किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित होने की कोई सम्भावना नहीं है। उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने का समय अवसर अंतिम तर्क के समय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है ऐसी स्थिति में अनु० अधि० के आदेश दिनांक 6.8.15 में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में ग्राह्यता का समुचित आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है।	
	(हस्ताक्षर) संभागायुक्त	
(हस्ताक्षर)		

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.